

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



CIRCULAR

Circular No.: PFRDA/2023/36/SUP-CGSG/01

19 December 2023

To,

All Intermediaries of National Pension System Registered under Regulations under PFRDA Act, 2013.

<u>Subject: PFRDA (Framework for Prevention and Reporting of Fraud Under NPS Architecture) Guidelines, 2023</u>

Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby issues, PFRDA (Framework for Prevention and Reporting of Fraud Under NPS Architecture) Guidelines, 2023 (enclosed) for compliance by the intermediaries.

The same is also available on the website of Authority (www.pfrda.org.in).

Yours Sincerely,

(Sumeet Kaur Kapoor)

Executive Director





PENSION FUND **REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY** (FRAMEWORK FOR PREVENTION AND REPORTING OF FRAUD UNDER NPS ARCHITECTURE) GUIDELINES, 2023

| CHA | PTER- I- SHORT TITLE, COMMENCEMENT, OBJECTIVE AND APPLICABILITY | 2 |
|--------------|---|-----|
| 1. | Short title and commencement | |
| 2. | Objective: | |
| 3. | Applicability | |
| CHA | PTER-II-DEFINITION AND CLASSIFICATION | |
| 4. | Definition | |
| 5. | Classification of Fraud | 4 |
| CHA | PTER-III-GENERAL DIRECTION | 4 |
| 6. | General Direction | |
| CHAI ESTA | PTER-IV- OBLIGATIONS OF THE ENTITIES UNDER NPS ARCHITECTURE AND BLISHMENT OF AN ANTI-FRAUD POLICY | |
| 7. | Obligations of the entities under NPS architecture: | |
| 8. | Establishment of an Anti-Fraud Policy | |
| CHAI | PTER-V- REPORTING PROCESS | 8 |
| 9. | Reporting Process of Financial Fraud to Law Enforcement Agencies | 8 |
| CHAI | PTER-VI -FRAUD MONITORING REPORTS | 9 |
| 10. | Fraud Monitoring Reports ("FMR") to Authority | 9 |
| 11. | Reports to the Board of the entity: | 9 |
| 12. | Delays in Reporting of Frauds | 9 |
| CHAI | PTER-VIII-ANNEXURES | .10 |
| Anne | xure-I- FRAUD MONITORING REPORT-1 (FMR 1) | .10 |
| Anne | xure-II- FRAUD MONITORING REPORT-2 (FMR 2) | .12 |
| | xure-III- FRAUD MONITORING REPORT-3 (FMR 3) | |

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (FRAMEWORK FOR PREVENTION AND REPORTING OF FRAUD UNDER NPS ARCHITECTURE) GUIDELINES, 2023

CHAPTER- I- SHORT TITLE, COMMENCEMENT, OBJECTIVE AND APPLICABILITY

1. Short title and commencement.

- 1.1. These guidelines may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Framework for Prevention and Reporting of Fraud Under NPS Architecture) Guidelines, 2023.
- 1.2. The guidelines are issued under section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013 ("PFRDA Act 2013").
- 1.3. These guidelines shall come into effect on the day, they are placed on the official website of the Pension Fund Regulatory and Development Authority ("PFRDA" or "Authority").
- 1.4. These guidelines are to be construed and acted upon, together with any other guidelines on fraud prevention, as may be applicable in the organization or which it is obliged to follow.

2. Objective:

The objective of the "Framework for Prevention and Reporting of Fraud Under NPS Architecture Guidelines" is to suggest a set of guidelines and measures for the prevention and reporting of fraud to the Board of the entity, Law enforcement Agencies, and Authority. These guidelines are not exhaustive on the subject and every care should be taken by entities under NPS architecture to evolve best practices to detect, prevent, and contain fraud. The framework *interalia* aims to achieve the following objectives:

- 2.1. Fraud Prevention: Evolve mechanisms to clearly Identify fraud and implement swift and effective mechanisms to mitigate the risk of fraud within the entity. This involves internally promoting a strong culture of fraud prevention, implementing robust controls, and raising awareness among all stakeholders.
- 2.2. Timely Detection: Enhance monitoring, data analytics, and reporting mechanisms to facilitate the early detection of fraudulent activities within the entity.
- 2.3. Subscriber Protection: Safeguard the interests of subscribers and beneficiaries by ensuring that intermediaries within the NPS Architecture adhere to high ethical standards and diligently protect interest of subscriber. This objective aims to enhance subscriber confidence and maintain the integrity.
- 2.4. Regulatory Compliance: Promote compliance with provisions of the PFRDA Act 2013, rules, regulations, guidelines issued by Authority on time to time. The objective is to ensure that all entities operating within the system fulfil their obligations and responsibilities in effectively combating fraud.

2.5. Continuous Improvement: Foster a culture of continuous improvement by regularly reviewing and updating the framework in response to evolving fraud risks, technological advancements, and emerging industry practices.

3. Applicability

These guidelines shall apply to all intermediaries registered with the Authority or any entity associated with such intermediaries in relation to any activity under NPS, besides other entities empanelled with the Authority (hereinafter referred to as "the entities /entities /entities under NPS architecture"). These guidelines shall be applicable in respect of all the schemes regulated and administered by PFRDA.

CHAPTER-II-DEFINITION AND CLASSIFICATION

4. Definition of Fraud

- 4.1. "Fraud" shall include any act of commission or omission or distortion or any concealment of facts or suppression of information or practising deception or any acts of undue influence, misrepresentation with a view to cause any unjust richment or gain to any person (whether monetary or otherwise) or any wrongful loss or any detriment suffered by another, without there being any necessity to prove any such gain or loss. Some of the instances of fraud shall include whether in a deceitful manner—
 - Making of any statement or furnishing any document which he knows or has reason to believe to be false or incorrect in any material particular
 - omitting to state any material fact knowing it to be material.
 - wilfully altering, suppressing or destroying any document which is required to be furnished
 - any misrepresentation of the truth or concealment of material facts so as to induce the other person to act to his detriment;
 - a promise or allurement made by a person without any intention of performing it;
 - any representations or warranties made, without due care and caution based on which another person acts or is likely to act or omits to act or is prevented from acting based on informed consent;
 - any acts of omission or commission classifiable as fraud under any other law in force, whether having civil or criminal ramifications or both.;
 - Failure to segregate moneys of the client or use the client for self of for any other client
- 4.2. There shall be no requirement of proving any financial or non-financial harm or loss having been caused to any person, under these guidelines, on account of any fraudulent activity.

5. Classification of Fraud

A list of acts/conduct which may be classifiable as fraud is listed below which is not exhaustive but only illustrative: -

- Breach of trust
- Fraudulent encashment through forged instruments, manipulation of books of account or through fictitious accounts.
- Cheating and forgery.
- Embezzlement or Misappropriation of funds, securities, supplies, or other assets
- Forgery or alteration of any document, record, or account or any destruction of documents
- Forgery or alteration of a cheque, bank draft, account, or any other financial instrument
- Incorrect financial reporting with a view to deceive
- Mis-utilization of office funds for personal purposes
- Unauthorised destruction, removal, or inappropriate use of records, furniture, fixtures, and equipment;
- Making false written or oral statements or representations with respect to organisation activities
- Impropriety in the handling or reporting of money or financial transactions
- Profiteering as a result of insider knowledge of the organisation's activities
- Disclosing confidential and proprietary information to unauthorised parties
- Bribery or kickbacks
- Wilful suppression of facts/deception in matters of appointment; placements; submission of reports
- Omitting to give true and correct information of a material nature
- Any other type of fraud not coming under the specific heads as above

CHAPTER-III-GENERAL DIRECTION

6. General Direction

- 6.1. The Managing Director/Chief Executive Officer (MD/CEOs) of intermediaries shall have the obligation to lay down a policy to deal with fraud and its prevention and reporting in accordance with these guidelines -
 - 6.1.1. To provide focus on the prevention and reporting of fraud to the Board of the entity, Law enforcement Agencies, and Authority.

- 6.1.2. To frame an Anti-Fraud Policy for fraud risk management and investigation.
- 6.1.3. To clearly demarcate the functions, roles and responsibilities of each employee.
- 6.2. Also, in order to adequately protect itself from the financial and reputational risks posed by frauds, the entities under NPS architecture shall have in place an appropriate framework to detect, monitor, and mitigate the occurrence of such frauds within their organization. The said framework shall, *inter-alia* include measures to protect the entity from the threats posed by the following broad categories of fraud:
 - 6.2.1. Subscribers Fraud and Claimant Fraud- Fraud by the subscriber at the time of joining NPS Architecture, contribution to the scheme, including fraud at the time of exit, premature withdrawal, and partial withdrawal, including the frauds by the claimant in case of death claim settlement.
 - 6.2.2. Intermediary/ Entity fraud Fraud perpetuated by an intermediary / Agent/ Business Correspondent under the NPS System/or by subscriber/ potential subscriber.
 - 6.2.3. Internal Fraud Fraud/misappropriation against the intermediary/ by its Director, Key Personnel and /or, any other officer or staff member.
 - 6.2.4. Digital fraud spam, scams, spyware, identity theft, password theft, phishing, or internet banking fraud.

CHAPTER-IV- OBLIGATIONS OF THE ENTITIES UNDER NPS ARCHITECTURE AND ESTABLISHMENT OF AN ANTI-FRAUD POLICY

- 7. Obligations of the entities under NPS architecture:
 - 7.1. Compliance with the regulatory norms: The entities under NPS architecture shall comply with all applicable laws, and provisions of the PFRDA Act 2013, including rules, regulations, and guidelines issued thereunder, at all times. Further, these guidelines shall also be part of regulatory compliance and its reporting by the entities under NPS architecture.
 - 7.2. Risk Assessment: The entities under NPS architecture are required to conduct periodic regular risk assessments to identify potential areas of vulnerability to financial fraud. These assessments should evaluate internal control systems, operational processes, customer due diligence, and transaction monitoring capabilities.
 - 7.3. Internal Procedures: The entities under NPS architecture must establish and maintain internal procedures to prevent financial fraud. These should include but are not limited to:

- 7.3.1. Fraud Prevention Measures: Implementing controls, checks, and balances to mitigate fraud risks across all business functions and operations related to NPS.
- 7.3.2. Know Your Customer (KYC) and Subscriber Due Diligence (SDD): Conduct thorough customer due diligence, verify customer identities, and implement ongoing monitoring measures to detect and prevent fraudulent activities.
- 7.3.3. Reporting Suspicious Activities: Establish mechanisms for employees to report suspicious activities internally.
- 7.3.4. Training and Awareness: Regular training programs to enhance employees' awareness about financial fraud risks, prevention measures, and reporting obligations to foster a culture of integrity and ethical behavior within the organization.
- 7.3.5. Whistle-blower Protection: Implement a whistle-blower protection framework that encourages employees to report potential financial fraud without fear of retaliation.
- 7.3.6. Incident Response and Investigation: Develop protocols for handling and investigating suspected financial fraud incidents promptly and thoroughly.
- 7.3.7. Surveillance and Monitoring: Implement surveillance and monitoring systems to identify unusual patterns, suspicious transactions, or red flags indicative of financial fraud.
- 7.3.8. Policy for Identification: To have a policy for identification of sensitive functions and rotate officials performing such functions.
- 7.3.9. Reporting: Timely reporting mechanism (both in-house and to external agencies) upon detection of fraud and for taking immediate measures to mitigate harm/loss caused.
- 7.3.10. Periodic Review: Review of fraud detection and prevention mechanism periodically and report to the Board of the organisation about the same.
- 8. Establishment of an Anti-Fraud Policy
 - 8.1. The entities under NPS architecture, subject to Board approval to establish an Anti-Fraud Policy for fraud risk management and investigation. This policy should adhere to governance standards and accountability, and consider the organization's structure, services, and technology. A comprehensive approach is to be adopted to identify, measure, control, and monitor fraud risk, with tailored risk management policies and procedures across the organization.
 - 8.2. Key components of the Anti-Fraud Policy shall be as under
 - 8.2.1. Policy Statement:
 - Clearly define the organization's commitment to preventing, detecting, and combating fraud.
 - Outline the purpose and objectives of the anti-fraud policy.

Emphasize the organization's zero-tolerance approach towards fraud.

8.2.2. Risk Assessment:

- Identify and assess potential fraud risks specific to organization's area of activities/ functions.
- Evaluate internal and external factors that may contribute to fraud, such as operational processes, system hardware and software, people, procedure, customer interactions, and regulatory compliance.

8.2.3. Detection Mechanisms:

- Implement robust monitoring and detection systems to identify suspicious activities and anomalies in transactions, account behavior, or customer interactions.
- Conduct periodic audits and reviews to assess the effectiveness of controls and identify potential vulnerabilities.
- Establish clear escalation procedures for reporting and investigating suspected fraud cases.

8.2.4. Prevention Measures:

- Establish internal controls and procedures to deter fraud, including segregation of duties, access controls, and authorization protocols.
- Provision for regular employee training programs to raise awareness of fraud risks and provide guidance on fraud prevention techniques.
- Promote a strong ethical culture within the organization to discourage fraudulent behavior.
- Encourage anonymous reporting channels for employees to report suspected fraudulent activities.
- To take immediate measures to stop the cascading impact of fraud to contain further monitory loss, once it is detected.

8.2.5. Co-ordination with Law Enforcement Agencies:

- Lay down procedures to coordinate with law enforcement agencies for reporting frauds on a timely and expeditious basis and
- follow-up processes thereon.

8.2.6. Reporting and Communication:

- Establish a reporting framework to document and communicate fraud incidents internally and, if required, externally.
- Develop protocols for timely reporting of suspected fraud to management, stakeholders, and regulatory authorities, as mandated by applicable laws and regulations.

- Maintain confidentiality and privacy of sensitive information throughout the reporting and communication process.
- 8.2.7. Recovery and indemnification:
 - To establish provisions to recover the monetary loss caused on account of fraud and provision for indemnifying the affected parties.
 - To establish provisions in public interest to ensure that the suitable action is taken against the guilty persons, apart from recovery of the amount involved.
- 8.2.8. Review and Continuous Improvement:
 - Regularly review and update the anti-fraud policy to align with changing fraud risks, industry best practices, and regulatory requirements.
 - Conduct periodic assessments of the policy's effectiveness and make necessary improvements based on lessons learned from fraud incidents.
 - The Board shall review the Anti-Fraud Policy on at least an annual basis and at such other intervals as it may be considered necessary.

CHAPTER-V- REPORTING PROCESS

9. Reporting Process of Financial Fraud to Law Enforcement Agencies

To effectively report financial fraud to law enforcement agencies, the following steps may be followed:

- 9.1. Recognizing and Documenting Fraud: The first step in reporting financial fraud is to recognize the signs of fraudulent activity. This may include unauthorized transactions, identity theft, money laundering, or other fraudulent practices. Once you suspect financial fraud, it is crucial to document all relevant details, including dates, times, amounts involved, and any supporting evidence such as bank statements, emails, or communication records.
- 9.2. **Internal Reporting**: Individuals who become aware of financial fraud should report it to the designated authority within their organization, as per anti-fraud policy.
- 9.3. **Reporting to Authority**: The fraud detection may immediately be reported to Survellance and Investigation Department of the Authority followed by detailed reports as prescribed under Fraud Monitoring Reports-1(FMR-1) to it also.
- 9.4. Contacting the Law and Enforcement Agencies/Local Police Station: To report financial fraud by the entity as per the prescribed parameters of an anti-fraud policy of organisation to enforcement agencies/local police stations and provide them with a clear and comprehensive account of the fraudulent activities, including all the documented evidence to help them better understand the nature of the fraud and initiate an investigation.

9.5. **Seeking Legal Advice:** It may be prudent to seek legal advice for guidance for the legal process to protect the rights, and advise on how to navigate the complexities of the case. This may also help in proceedings.

CHAPTER-VI -FRAUD MONITORING REPORTS

- 10. Fraud Monitoring Reports ("FMR") to Authority
 - 10.1. The Managing Director/Chief Executive Officer (MD/CEOs) of intermediaries shall have the obligation to submit all the returns referred to in this document.
 - 10.2. The fraud monitoring report containing information on fraudulent cases that come to light and action taken thereon are to be submitted to the Authority in the prescribed format under as per below categories and frequencies;

| SL | Particular of | Frequency | Format |
|----|---------------------|------------------------------|--------------|
| | Reports | | |
| 1 | Details of actual | within 3 weeks of the | Annexure-I |
| | and suspected | detection of fraud | |
| | fraud (FMR 1) | | |
| 2 | Details of | every year within 30 days of | Annexure-II |
| | outstanding fraud | the close of the financial | |
| | cases (FMR 2) | year | |
| 3 | Details of closed | every year within 30 days of | Annexure-III |
| | fraud cases (FMR 3) | the close of the financial | |
| | | year | |

11. Reports to the Board of the entity:

The entities under NPS architecture to ensure that all frauds are reported promptly to its Board. Such reports should, among other things, take note of the failure on the part of the concerned officials and controlling authorities, and give details of action initiated against the officials responsible for the fraud.

12. Delays in Reporting of Frauds

The entities under NPS architecture should ensure that the reporting system is suitably streamlined so that delays in reporting of frauds, and submission of delayed and incomplete fraud reports are avoided. The entities under NPS architecture must fix staff accountability in respect of delays in reporting fraud cases to the Authority.

CHAPTER-VIII-ANNEXURES Annexure-I- FRAUD MONITORING REPORT-1 (FMR 1) (Details of actual and suspected fraud)

| 1 | Details of the Entity | and suspected fraud) |
|----------|--|----------------------|
| | | |
| (a) | Name of the Office/Branch | |
| (b) | Branch type | |
| (c) | Place | |
| (d) | District | |
| (e) | State | |
| 2 | Details of Subscriber/Prospective | ve Subscriber |
| (a) | Name of the Subscriber | |
| (b) | Permanent Retirement Account | |
| | Number (PRAN)/Application | |
| | No. | |
| (c) | Area of operation where the | |
| | fraud has occurred | |
| 3 | Details about fraud | |
| (a) | Nature of Fraud | |
| (b) | Whether the computer is used | |
| | in committing the fraud? | |
| (c) | The total amount involved (in | |
| (7) | Rs.) | |
| (d) | Date of occurrence | |
| (e) | Date of Detection | |
| (f) | Reasons for delay, if any, in | |
| | detecting the fraud | |
| (g) | Brief history | |
| (h) | Modus operandi | |
| 4. | Fraud committed by | |
| (a) | Employee/Staff | (Yes/No) |
| (b). | Subscriber | (Yes/No) |
| (c) | Outsiders | (Yes/No) |
| 5 | Other details | |
| (a) | Whether internal inspection/ | (Yes/No) |
| | audit was conducted during | |
| | the period between the date of the first occurrence of the fraud | |
| | and its detection? | |
| <u> </u> | and its detection; | |

(b)

(c)

If yes, why the fraud could not have been detected during such

What action has been taken for non-detection of the fraud during such inspection/audit

an inspection/audit?

| 6 | Details about action taken/prop | osed to be taken |
|------------|--|-------------------------------------|
| (a) | Whether any complaint has | (Yes/No) |
| | been lodged with the | |
| | Police/CBI? | |
| (b) | If yes, name of office/ branch of | |
| | CBI/ Police | |
| (c) | Date of reference | |
| (d) | The present position of the case | |
| (e) | Date of completion of | |
| | Police/CBI investigation | |
| (f) | Date of submission of the | |
| | investigation report by | |
| | Police/CBI | |
| (g) | If not reported to Police/CBI, | |
| | the reasons therefor | |
| 7 | Details of staff-side action | |
| (a) | Whether any internal | (Yes/No) |
| | investigation has been/is | |
| (b) | proposed to be conducted | |
| (b) (c) | If yes, the date of completion Whether any departmental | (N//NT-) |
| (C) | J 1 | (Yes/No) |
| | enquiry has been/is proposed to be conducted | |
| (d) | If yes, give details as per the | |
| (4) | format given below: | |
| (e) | If not, reasons therefor | |
| 8 | Steps were taken/proposed | to be taken to avoid such incidents |
| (a) | Total amount recovered | to be taken to avoid buch medents |
| (b) | Amount recovered | |
| ` ′ | /parties concerned | |
| (c) | From other sources | |
| (d) | Extent of loss | |
| (e) | Amount written off | |
| 9 | Suggestions for Consideration of | Authority |
| | | |

Format for Staff-side action

| · | | , | office for 5 | tail bio | ic action | | | | |
|----|----------|--------|--------------|--------------|----------------------------|---------|------|------------|--|
| N | Na | Design | i . | | Date of | Date of | Dat | Punis | Details |
| 0. | me | ation | suspende | e of issu | commenc ement of the | comple | e of | h- ment | of prosecu tion/ convicti on/ acquitta l, etc. |
| | <u> </u> | | | | | | | | |

Annexure-II- FRAUD MONITORING REPORT-2 (FMR 2) (Details of outstanding fraud cases)

Name of entity:

Report for the year ending:

Part I

Frauds Outstanding

| SI. No. | Descriptio n of Fraud | at the | esolved Cases ne beginning of year | detect the ye | | | Cases closed luring the year | | Unresolved Cases at the end of the year | | |
|---------|--------------------------|--------|--|------------------|--------------------|-----|------------------------------------|-----|--|--|--|
| | | No. | Amount involved | No. | Amount involved | No. | Amount involved | No. | Amount involve d | | |
| | Total | | | | | | | | | | |

Part II Statistical details: (unresolved cases as of the end of the year)

| Sl. No. | Description of Fraud | No. of Cases | Amount involved |
|---------|-------------------------|--------------|-----------------|
| | Total | | |

Part III
Preventive and Corrective steps taken during the year

| SI.No. | Description of the fraud | Preventive/Corrective |
|--------|--------------------------|-----------------------|
| | | action taken |

Part IV
Cases Reported to Law Enforcement Agencies

| Cases Reported to Law Enforcement Agencies | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| SI. | Description | Unres | solved | New | cases | Ca | ses | Unres | solved |
| No. | | Cases | at the | repo | orted | clo | closed | | at the |
| | | beginı | ning of | durir | ng the | durir | ng the | i | of the |
| | | the | year | yε | ear | I | ear | year | |
| | 1 | No. | Rs. in | No. | Rs. | No. | Rs. | No. | Rs. in |
| | | | lakh | | in | | in | | lakh |
| | | | | | lakh | | lakh | | |
| 1 | Cases | | | | | | | | |
| | reported to | | | | | | | | |
| | Police | | | | | | | | |
| 2 | Cases | | | | | | | | |
| | reported to | | | | | | | | |
| | CBI | | | | | | | | |
| 3 | Cases | | | | | | *** | | |
| | reported | | | | | | | | |
| | to | | | | | | | | |
| | Other | | | | | | | | |
| | agencies | | | | | | | | |
| | (specify) | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | |

CERTIFICATION

| Certified that the detail | s given above | e are correc | t and | complete | to | the | best | of | mv |
|---------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|----|-----|------|----|----|
| knowledge and belief an | d nothing has | been concea | led or | suppresse | d. | | | | |

| ١ |
|---|

Place:

Signed/-

Annexure-III- FRAUD MONITORING REPORT-3 (FMR 3) (Details of closed fraud cases)

Fraud Cases closed during the year:

Name of the Entity:

Report for the year:

| SL | Racis of closing a case | |
|-----|--|-----------|
| No. | Basis of closing a case | Number of |
| NO. | | cases |
| - | | closed# |
| 1. | The fraud cases pending with CBI/Police/Court were finally | |
| | disposed of | |
| 2. | The examination of staff accountability has been completed. | |
| 3. | The amount involved in the fraud has been recovered. | |
| 4 | The amount paid back to the affected subscriber. | |
| 5 | The entity has reviewed the systems and procedures; identified the | |
| | causative factors; has plugged the lacunae; and the portion has | |
| | been taken note of by the appropriate authority of the entity | |
| | (Board, Committee thereof) | |
| 6 | The entity is pursuing vigorously CBI for the final disposal of | |
| | pending fraud cases, and staff side action is completed. | |
| | The entity is vigorously following up with the police authorities | |
| | and/or court for final disposal of fraud cases | |
| 7 | Fraud cases where: | |
| | | |
| | The investigation is on or challan/ charge sheet not filed in the | |
| | Court for more than three years from the date of filing of the First | |
| | Information Report (FIR) by the CBI/Police; or | |
| | The contract trapert (1 iii) by the colf 1 once, of | |
| | Trial in the courts, after filing of charge sheet/challan by CBI / | |
| | Police has not started or is in progress | |
| | Total fine started of 15 In progress | |

CERTIFICATION

| Certified that th | ie details | given | above | are | correct | and | complete | to | the | best | of | my |
|-------------------|------------|--------|----------|-----|---------|-------|-----------|----|-----|------|----|----|
| knowledge and l | pelief and | nothin | ig has b | een | conceal | ed or | suppresse | d. | | | | J |

| Date: | | | |
|--------|--|--|--|
| Place: | | | |

Signed/-

Note: # Closure of Fraud Cases:

For reporting purposes, the entity should report only such cases as closed where the actions as stated below are complete:

- 1. The fraud cases pending with CBI/Police/Court are finally disposed of.
- 2. The examination of staff accountability has been completed
- 3. The amount of fraud has been recovered.
- 4. The entity has reviewed the systems and procedures, identified the causative factors, and plugged the lacunae and the fact of which has been taken note of by the appropriate authority (Board / Audit Committee of the Board)

Entities should also pursue vigorously with CBI for final disposal of pending fraud cases especially where the entities have completed the staff side action. Similarly, entities may vigorously follow- up with the police authorities and/or court for final disposal of fraud cases and/or court for final disposal of fraud cases.



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



परिपत्र

परिपत्र संख्या: पीएफआरडीए/2023/36/एसयूपी-सीजीएसजी/01

19 दिसंबर 2023

सेवा में,

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 एवं उसमें जारी विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सभी मध्यस्थों के लिए।

विषय: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस संरचना के अंतर्गत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2023

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सभी मध्यवर्ती संस्थाओं के द्वारा अनुपालन के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस संरचना के अंतर्गत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2023 (संलग्न) जारी करता है।

किसी भी अस्पष्टता या संदेह की स्थिति में दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

यह प्राधिकरण की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर भी उपलब्ध है।

सादर

(सुमीत कौर कपूर)

कार्यकारी निदेशक





पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(एनपीएस संरचना के अंतर्गत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2023

| विषयस्या | |
|--|----|
| अध्याय- I- संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, उद्देश्य और प्रयोज्यता | |
| 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ | |
| 2. उद्देश्य | 2 |
| 3. प्रयोज्यता | 3 |
| अध्याय-II-परिभाषा और वर्गीकरण | 3 |
| 4. परिभाषा | |
| 5. धोखाधड़ी का वर्गीकरण | |
| अध्याय-III-सामान्य दिशा | 4 |
| 6. सामान्य निर्देश | 4 |
| अध्याय-IV- एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं के दायित्व और धोखाधड़ी-विरोधी नीति की स्थापना | |
| 7.एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं के दायित्व | 5 |
| 8. धोखाधड़ी-विरोधी नीति की स्थापना | 6 |
| अध्याय-V- सूचना प्रक्रिया | 8 |
| 9. विधि प्रवर्तन एजेंसियों को वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना प्रक्रिया | 8 |
| अध्याय-VI - धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट | 9 |
| 10. प्राधिकरण को भेजे जानी वाली धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट | |
| ("एफएमआर") | 9 |
| 11.संस्थाओं के बोर्ड को रिपोर्ट | 9 |
| 12. धोखाधड़ी की सूचना देने में विलंब | 9 |
| अध्याय-VIII-अनुलग्नक | |
| अनुलग्नक-l- धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-1 (एफएमआर 1) | 10 |
| अनुलग्नक-II- धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-2 (एफएमआर 2) | 12 |
| अनुलग्नक-III- धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-3 (एफएमआर 3) | 14 |

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस संरचना के अंतर्गत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2023

अध्याय-I - संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, उद्देश्य और प्रयोज्यता

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1.1. इन दिशानिर्देशों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस संरचना के अंतर्गत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2023 के नाम से जाना जाएगा।
- 1.2. दिशानिर्देश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 ("पीएफआरडीए अधिनियम 2013") की धारा 14 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- 1.3. ये दिशानिर्देश उस दिन से प्रभावी होंगे जिस दिन से इन्हें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ("पीएफआरडीए" या "प्राधिकरण") की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाएगा।
- 1.4. इन दिशानिर्देशों को धोखाधड़ी की रोकथाम पर किसी भी अन्य दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन हेतु माना जाना चाहिए, जैसा कि संगठन में लागू हो या जिसका अनुपालन करने के लिए वह बाध्य हो।

2. उद्देश्य :

"एनपीएस संरचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए रूपरेखा - दिशानिर्देश" का उद्देश्य संस्था के बोर्ड, विधि प्रवर्तन एजेंसियों और प्राधिकरण को धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना के लिए दिशानिर्देशों की जानकारी देना है। ये दिशानिर्देश इस विषय पर संपूर्ण नहीं हैं तथापि एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और सीमित करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए हर सावधानी बरती जानी चाहिए। इस ढांचे का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना भी है:

- 2.1. धोखाधड़ी की रोकथाम: धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से पहचानने और संस्था के भीतर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए तेज और प्रभावी तंत्र को लागू करने के लिए प्रणाली विकसित करना। इसमें आंतरिक रूप से धोखाधड़ी की रोकथाम की एक सुदृढ़ संस्कृति को बढ़ावा देना, मजबूत नियंत्रण लागू करते हुए सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
- 2.2. समय पर पता लगाना: संस्था के भीतर धोखाधड़ी गतिविधियों का शीघ्र पता लगाने की सुविधा के लिए निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और सूचना तंत्र को बढ़ाना।
- 2.3. अभिदाता संरक्षण: एनपीएस संरचना के भीतर मध्यस्थों द्वारा उच्च नैतिक मानकों का अनुपालन करना और अभिदाताओं और लाभार्थियों के हितों की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य अभिदाताओं के विश्वास को बढ़ाना और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना है।
- 2.4. विनियामक अनुपालन: पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रणाली के भीतर काम करने वाली सभी संस्थाएं धोखाधड़ी से निपटने में अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करें।
- 2.5. निरंतर सुधार: धोखाधड़ी जोखिमों, तकनीकी प्रगति और उभरते उद्योग प्रथाओं की प्रतिक्रिया में ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा और उसे अद्यतन करके निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना।

3. प्रयोज्यता

ये दिशानिर्देश प्राधिकरण के साथ पंजीकृत सभी मध्यस्थों या एनपीएस के अंतर्गत किसी भी गतिविधि के संबंध में ऐसे मध्यस्थों से जुड़ी किसी भी संस्था पर लागू होंगे। इसके अलावा प्राधिकरण के साथ सूचीबद्ध अन्य संस्थाओं (इसके बाद "एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं / संस्थाओं " के रूप में संदर्भित) पर भी लागू होंगे। साथ ही, ये दिशानिर्देश, पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित सभी योजनाओं के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय-॥- परिभाषा और वर्गीकरण

4. धोखाधड़ी की परिभाषा

4.1. धोखाधड़ी में तथ्यों को गढ़ने, मिटाने, विरूपित करने या छिपाने अथवा सूचना को गुप्त रखने या धोखेबाजी करने या अनुचित रूप से प्रभावित करने का कोई कृत्य, अनुचित धनार्जन या किसी व्यक्ति के लाभ (मौद्रिक या अन्य) या हानि या कष्टकारक परिस्थिति पैदा करने की दृष्टि से किया गया कोई गलत अभ्यावेदन शामिल होता है। इस तरह के

किसी भी लाभ या हानि को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धोखाधड़ी के कुछ उदाहरणों में कपटपूर्ण तरीके से किए गए निम्नलिखित कृत्य भी शामिल होंगे-

- कोई भी बयान देना या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना जिसे वह जानता हो अथवा उसे गलत माने जाने का कारण या किसी विषयवस्त् में त्रृटि हो।
- किसी भी महत्त्वपूर्ण तथ्य के महत्त्व को जानते हुए भी उसे छिपाना।
- प्रस्तुत करने योग्य किसी भी दस्तावेज को जानबूझकर बदलना, छिपाना या नष्ट करना
- सत्य की गलत प्रस्तुति या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना ताकि किसी दूसरे व्यक्ति
 को उसके नुकसान हेत् कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वादा या प्रलोभन जिसे पूरा करने का कोई उद्देश्य न हो।
- उचित देखभाल और सावधानी के बिना किए गए कोई भी अभ्यावेदन या वारंटी, जिसके आधार पर कोई अन्य व्यक्ति कार्य करता हो या कार्य करने की संभावना हो या सूचित सहमति के आधार पर कार्य करने से रोका जाता हो।
- किसी भी अन्य लागू कानून के अंतर्गत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत चूक या भूल का कोई कार्य, जिसके चाहे सिविल या आपराधिक प्रभाव या दोनों हों।
- ग्राहक के पैसों का विभाजन करने में विफलता या किसी अन्य ग्राहक के लिए उस ग्राहक द्वारा स्वयं का उपयोग।
- 4.2. इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि के कारण किसी व्यक्ति को हुए किसी भी वितीय या गैर-वितीय नुकसान या हानि को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

5. धोखाधड़ी का वर्गीकरण

धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले कृत्यों/आचरणों की सूची निम्नानुसार है। यह विस्तृत नहीं, केवल उदाहरण मात्र है :-

- विश्वासघात
- जाली दस्तावेजो, बही-खातों में हेरफेर या फर्जी खातों के माध्यम से धोखाधड़ी युक्त नकदीकरण
- धोखाधड़ी और जालसाजी
- निधियों, प्रतिभूतियों, आपूर्ति, या अन्य आस्तियों का गबन या दुरुपयोग
- किसी भी दस्तावेज़, रिकॉर्ड, या खाते में जालसाजी या परिवर्तन या दस्तावेजों को नष्ट करना

- चेक, बैंक ड्राफ्ट, खाता, या किसी अन्य वित्तीय दस्तावेजों में जालसाजी या परिवर्तन
- धोखा देने की दृष्टि से गलत वितीय सूचना
- व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कार्यालय निधि का दुरुपयोग
- रिकॉर्ड, फर्नीचर, फिक्स्चर और उपकरणों का अनिधकृत विनाश, निष्कासन या अनुचित उपयोग
- संगठन की गतिविधियों के संबंध में लिखित या मौखिक रूप से गलत बयान या
 अभ्यावेदन देना
- पैसे या वितीय लेनदेन की अनुचित हैंडलिंग या सूचना
- संगठन की गतिविधियों की अंदरूनी सूचना के परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी
- अनिधकृत पक्षों को गोपनीय और स्वैमित्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना
- रिश्वत या उत्कोच
- नियुक्ति, प्लेसमेंट या रिपोर्ट प्रस्तुति के मामलों में तथ्यों को जानबूझकर छिपाना /
 धोखा देना
- महत्वपूर्ण प्रकृति की सत्य और सही जानकारी देने से बचना
- कोई अन्य प्रकार की धोखाधड़ी जो ऊपर दिए गए विशिष्ट शीर्षों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

अध्याय-III सामान्य निर्देश

6. सामान्य निर्देश

- 6.1. मध्यस्थों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी/सीईओ) का दायित्व होगा कि वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी से निपटने और इसकी रोकथाम और सूचना के लिए एक नीति निर्धारित करें -
 - 6.1.1. धोखाधड़ी की रोकथाम और संस्था के बोर्ड, विधि प्रवर्तन एजेंसियों और प्राधिकरण को धोखाधड़ी की सूचना।
 - 6.1.2. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और जांच के लिए एक धोखाधड़ी-विरोधी नीति तैयार करना।
 - 6.1.3. प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करना.
- 6.2. इसके अलावा, धोखाधड़ी से उत्पन्न वितीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों से खुद को पर्याप्त रूप से बचाने के लिए, एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं को अपने संगठन के भीतर ऐसी धोखाधड़ी की घटना का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें कम करने

- के लिए एक उपयुक्त ढांचा बनाना होगा। उक्त ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, धोखाधड़ी की निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों द्वारा उत्पन्न खतरों से संस्था की रक्षा करने के उपाय शामिल होंगे:
- 6.2.1. अभिदाता धोखाधड़ी और दावेदार धोखाधड़ी- एनपीएस संरचना में शामिल होने तथा योजना में अंशदान के समय अभिदाता द्वारा धोखाधड़ी, जिसमें निकासी, समयपूर्व निकासी और आंशिक निकासी के समय धोखाधड़ी के साथ मृत्यु दावा निपटान के मामले में दावेदार द्वारा की गई धोखाधड़ी भी शामिल है।
- 6.2.2. मध्यस्थ/संस्था धोखाधड़ी एनपीएस प्रणाली के अंतर्गत किसी मध्यस्थ/एजेंट/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट द्वारा या अभिदाता/संभावित अभिदाता द्वारा की गई धोखाधड़ी।
- 6.2.3. आंतरिक धोखाधड़ी मध्यस्थ के खिलाफ उसके निदेशक, प्रमुख कार्मिक और / या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी सदस्य द्वारा धोखाधड़ी / जालसाजी।
- 6.2.4. डिजिटल धोखाधड़ी स्पैम, स्कैम, स्पाइवेयर, पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, फिशिंग, या इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी।

अध्याय -IV - एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं के दायित्व और धोखाधड़ी-विरोधी नीति की स्थापना

- 7. एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं के दायित्व:
 - 7.1. विनियामक मानकों का अनुपालन: एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं को हर समय सभी लागू कानूनों और पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों, नियम, विनियम और उसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करना होगा ()। इसके अलावा, ये दिशानिर्देश, एनपीएस के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा विनियामक अनुपालन और इसकी सूचना का भी हिस्सा होंगे।
 - 7.2. जोखिम मूल्यांकन: एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं को वितीय धोखाधड़ी के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवधिक नियमित जोखिम आकलन करना होगा। इन आकलनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, परिचालन प्रक्रियाओं, ग्राहक संबंधी उचित सावधानी और लेनदेन निगरानी क्षमताओं के मूल्यांकन को शामिल किया जाना चाहिए।
 - 7.3. आंतरिक प्रक्रियाएं : एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं को वितीय धोखाधड़ी रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को स्थापित करना और सुरक्षित रखना होगा। इनमें निम्नलिखित अवश्य शामिल होने चाहिए :

- 7.3.1. धोखाधड़ी रोकथाम उपाय : एनपीएस से संबंधित सभी व्यावसायिक कार्यों और परिचालनों में धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण, अवरोध और संतुलन को लागू करना।
- 7.3.2. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और अभिदाता संबंधी समुचित सावधानी (एसडीडी): धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए ग्राहक की समुचित जांच-पड़ताल करना, ग्राहक की पहचान को सत्यापित करना, और जारी निगरानी उपायों को लागू करना।
- 7.3.3. संदिग्ध गतिविधियों की सूचना : संदिग्ध गतिविधियों को रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों हेतु आंतरिक तंत्र स्थापित करना।
- 7.3.4. प्रशिक्षण और जागरूकता : संगठन के भीतर सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वितीय धोखाधड़ी जोखिमों, रोकथाम के उपायों और सूचना दायित्वों के बारे में कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- 7.3.5. व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण : व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण ढांचे को लागू करना जो प्रतिशोध के भय के बिना संभावित वितीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता हो।
- 7.3.6. घटना पर प्रतिक्रिया और जांच : संदिग्ध वितीय धोखाधड़ी की घटनाओं को शीघ्र और भलीभाँति संभालने और उनकी जांच करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
- 7.3.7. अनुवीक्षण और निगरानी : वितीय धोखाधड़ी का संकेत देने वाले असामान्य पैटर्न, संदिग्ध लेनदेन या खतरे के निशान को चिन्हित करने हेतु अनुवीक्षण और निगरानी प्रणाली लागू करना।
- 7.3.8. चिन्हित करने हेतु नीति : संवेदनशील कार्यों को चिन्हित करने के लिए और ऐसे कार्यों को करने वाले अधिकारियों के आवर्तन हेतु एक नीति बनाना।
- 7.3.9. सूचना : धोखाधड़ी का पता लगाने और नुकसान / हानि को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने हेतु समायाधारित सूचना तंत्र (इन-हाउस और बाहरी एजेंसियों दोनों) का निर्माण करना।
- 7.3.10. आवधिक समीक्षा : समय-समय पर धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम तंत्र की समीक्षा करना और इसके बारे में संगठन के बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- 8. धोखाधड़ी विरोधी नीति की स्थापना
 - 8.1. एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाएं, धोखाधड़ी, जोखिम प्रबंधन और जांच के लिए धोखाधड़ी विरोधी नीति स्थापित करने के लिए बोर्ड के अनुमोदन के अधीन हैं। यह नीति, शासकीय मानकों और जवाबदेही के अनुपालन में होनी चाहिए, और इसमें संगठन की संरचना, सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर विचार करना चाहिए। संगठन के अनुरूप जोखिम

प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ धोखाधड़ी के जोखिम की पहचान, माप, नियंत्रण और निगरानी के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

8.2. धोखाधड़ी विरोधी नीति के प्रमुख घटक निम्नान्सार होंगे

8.2.1. नीति कथन:

- धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने और उसका सामना करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- धोखाधड़ी विरोधी नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करना।
- धोखाधड़ी के प्रति संगठन के शून्य सिहष्णुता दृष्टिकोण पर जोर देना।

8.2.2. जोखिम मूल्यांकन:

- संगठन की गतिविधियों / कार्यक्षेत्र के लिए विशिष्ट संभावित धोखाधड़ी जोखिमों की पहचान और आकलन करना।
- ऐसे आंतरिक और बाहरी कारकों का मूल्यांकन करना जो धोखाधड़ी में योगदान कर सकते हैं, जैसे परिचालन प्रक्रियाएं, सिस्टम-हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कर्मचारी, प्रक्रिया, ग्राहक संपर्क और विनियामक अनुपालन।

8.2.3. पहचान तंत्र:

- लेनदेन, खाता व्यवहार, या ग्राहक संपर्क में संदिग्ध गतिविधियों और विसंगतियों को चिहिनत करने के लिए मजबूत निगरानी और पहचान प्रणाली लागू करना।
- नियंत्रण की प्रभावशीलता का आकलन करने और संभावित संकटों की पहचान करने के लिए आवधिक लेखापरीक्षा और समीक्षा करना।
- संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों की सूचना और जांच के लिए स्पष्ट वृद्धि/बढ़त प्रक्रियाएं स्थापित करना।

8.2.4. रोकथाम के उपाय:

- धोखाधड़ी को रोकने और काम के विभाजन, पहुँच नियंत्रण और प्राधिकरण प्रोटोकाल के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं स्थापित करना।
- धोखाधड़ी के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकथाम तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान करना।
- धोखाधड़ी व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए संगठन के भीतर एक सुदृढ़
 नैतिक संस्कृति को बढ़ावा देना।
- कर्मचारियों को संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए नामरहित सूचना चैनलों को प्रोत्साहित करना।

- धोखाधड़ी का पता लगने के बाद इसके व्यापक प्रभाव को रोकने के लिए तत्काल
 उपाय करना, ताकि अगली मौद्रिक हानि को रोका जा सके।
- 8.2.5. विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय :
 - धोखाधड़ी को उचित समय पर और त्विरत आधार पर रिपोर्ट करने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु प्रक्रियाएं निर्धारित करना और
 - उस पर अनुवर्ती कारवाई।
- 8.2.6. सूचना और संचार :
 - आंतरिक रूप से और यदि आवश्यक हो, तो बाहरी रूप से धोखाधड़ी की घटनाओं को दर्ज करने और सूचित करने के लिए एक सूचना ढांचा स्थापित करना।
 - लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में प्रबंधन, हितधारकों और विनियामक प्राधिकरणों को संदिग्ध धोखाधड़ी की समय पर सूचना के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
 - सूचना और संचार प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील सूचना की गोपनीयता और निजता बनाए रखना।
- 8.2.7. वसूली और क्षतिपूर्ति :
 - धोखाधड़ी के कारण हुई मौद्रिक हानि की वसूली के लिए प्रावधान स्थापित करना और प्रभावित पक्षों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान करना।
 - जनिहत हेतु धोखाधड़ी में शामिल राशि की वसूली के अलावा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान स्थापित करना।
- 8.2.8. समीक्षा और निरंतर सुधार :
 - बदलते धोखाधड़ी जोखिमों, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियामक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए नियमित रूप से धोखाधड़ी-विरोधी नीति की समीक्षा और उसे अद्यतन करना।
 - इस नीति की प्रभावशीलता का आवधिक आकलन करना और धोखाधड़ी की घटनाओं के अन्भव के आधार पर आवश्यक स्धार करना।
 - बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार कम से कम वार्षिक आधार पर और ऐसे अन्य अंतरालों पर धोखाधड़ी विरोधी नीति की समीक्षा करना।

अध्याय-V- सूचना प्रक्रिया

9. विधि प्रवर्तन एजेंसियों को वितीय धोखाधड़ी के सूचना की प्रक्रिया

विधि प्रवर्तन एजेंसियों को वितीय धोखाधड़ी की प्रभावी ढंग से सूचना देने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा:

- 9.1. धोखाधड़ी को पहचानना और उसे दर्ज़ करना : वितीय धोखाधड़ी की सूचना में पहला कदम धोखाधड़ी गतिविधि के संकेतों की पहचान करना है। इसमें अनिधकृत लेनदेन, पहचान की चोरी, धन-शोधन या अन्य धोखाधड़ी प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। एक बार जब आपको वितीय धोखाधड़ी का संदेह होता है, तो ऐसे सभी प्रासंगिक विवरणों को दर्ज करना महत्त्वपूर्ण है, जिसमें तिथियाँ, समय, शामिल राशि और बैंक विवरण, ईमेल या संचार रिकॉर्ड जैसे कोई भी सहायक साक्ष्य शामिल हों।
- 9.2. **आंतरिक सूचना :** जो व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूक हो जाते हैं, उन्हें धोखाधड़ी-विरोधी नीति के अनुसार, अपने संगठन के भीतर नामित प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।
- 9.3. प्राधिकरण को रिपोर्ट करना : धोखाधड़ी का पता चलने के बाद तुरंत प्राधिकरण के निगरानी और जांच विभाग को सूचित किया जाए, जिसके बाद धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट -1 (एफएमआर -1) के अंतर्गत निर्धारित विस्तृत रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए।
- 9.4. विधि और प्रवर्तन एजेंसियों / स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करना: प्रवर्तन एजेंसियों / स्थानीय पुलिस स्टेशनों को संगठन की धोखाधड़ी विरोधी नीति के निर्धारित मानकों के अनुसार संस्था द्वारा वितीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना और उन्हें धोखाधड़ी की गतिविधियों का एक स्पष्ट और व्यापक विवरण प्रदान करना, जिसमें सभी प्रलेखित साक्ष्य शामिल होने चाहिए ताकि उन्हें धोखाधड़ी की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और जांच शुरू करने में मदद मिल सके।
- 9.5. विधिक परामर्श लेना: अधिकारों की रक्षा हेतु विधिक प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए विधिक परामर्श लेना और मामले की जटिलताओं को नेविगेट करने के तरीके पर परामर्श मांगना चाहिए। इससे कार्यवाही में भी मदद मिलेगी।

अध्याय-VI -धोखाधडी निगरानी रिपोर्ट

- 10. प्राधिकरण को धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट ("एफएमआर")
 - 10.1. मध्यस्थों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी/सीईओ) के पास इस दस्तावेज में उल्लिखित सभी रिटर्न प्रस्तुत करने का दायित्व होगा।
 - 10.2. धोखाधड़ी के मामलों के बारे में सूचना वाली धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई को निम्नलिखित श्रेणियों और आवृत्तियों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा :

| क्रमांक | रिपोर्ट का विवरण | आवृत्ति | प्रारूप |
|---------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | वास्तविक और संदिग्ध | धोखाधड़ी का पता चलने के 3 | अनुलग्नक-। |
| | धोखाधड़ी का विवरण | सप्ताह के भीतर | |
| | (एफएमआर 1) | | |
| 2. | शेष धोखाधड़ी के मामलों | हर वर्ष, वितीय वर्ष की समाप्ति के | अन्लग्नक-॥ |
| | का विवरण (एफएमआर | 30 दिनों के भीतर | |
| | 2) | | |
| 3. | धोखाधड़ी के बंद किए | हर वर्ष, वितीय वर्ष की समाप्ति के | अन्लग्नक-॥। |
| | गए मामलों का विवरण | 30 दिनों के भीतर | |
| | (एफएमआर 3) | | |

11. संस्था के बोर्ड को रिपोर्ट :

एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी धोखाधड़ी की सूचना उनके बोर्ड को तुरंत दी जाए। ऐसी रिपोर्टों में, अन्य बातों के अलावा, संबंधित अधिकारियों और नियंत्रक अधिकारियों की विफलता पर ध्यान दिया जाएगा, और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई का विवरण भी दिया जाएगा।

12. धोखाधड़ी की सूचना में देरी :

एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना प्रणाली को उपयुक्त रूप से सुव्यवस्थित किया जाए ताकि धोखाधड़ी की सूचना में देरी तथा विलंबित और अधूरी धोखाधड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से बचा जा सके। एनपीएस संरचना के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा प्राधिकरण को धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देने में देरी के संबंध में कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

अध्याय-VIII-अनुलग्नक

अनुलग्नक-I- धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-1 (एफएमआर 1) (वास्तविक और संदिग्ध धोखाधड़ी का विवरण)

| 1 | संस्था का विवरण | |
|-----|-------------------------------------|------------|
| (क) | कार्यालय / शाखा का नाम | |
| (ख) | शाखा का प्रकार | |
| (ग) | स्थान | |
| (ঘ) | ज़िला | |
| (च) | राज्य | |
| 2 | अभिदाता/भावी अभिदाता का विवरण | |
| (क) | अभिदाता का नाम | |
| (ख) | स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या | |
| | (पीआरएएन) / आवेदन संख्या | |
| (ग) | संचालन क्षेत्र जहां धोखाधड़ी हुई है | |
| 3 | धोखाधड़ी का विवरण | |
| (क) | धोखाधड़ी की प्रकृति | |
| (ख) | क्या धोखाधड़ी में कंप्यूटर का उपयोग | |
| | किया गया ? | |
| (ग) | इसमें शामिल कुल राशि (रुपये में) | |
| (ঘ) | घटना की तिथि | |
| (च) | पता लगने की तिथि | |
| (ভ) | धोखाधड़ी का पता लगने में देरी, यदि | |
| | कोई हो, कारण सहित | |
| (ज) | संक्षिप्त इतिहास | |
| (朝) | कार्यप्रणाली | |
| 4. | धोखाधड़ी किसके द्वारा की गई? | |
| (क) | कर्मचारी / कार्मिक | (हॉं/नहीं) |
| (ख) | अभिदाता | (हाँ/नहीं) |
| (ग) | बाहरी व्यक्ति | (हाँ/नहीं) |
| 5 | अन्य विवरण | |

| (क) | क्या धोखाधड़ी की पहली घटना की | (हाँ/नहीं) |
|-----|--------------------------------------|--|
| (/ | तिथि और इसका पता लगने के बीच | (611,0161) |
| | की अवधि के दौरान आंतरिक निरीक्षण | |
| | / लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी? | |
| (ख) | यदि हां, तो इस तरह के निरीक्षण / | |
| , | लेखा परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का | |
| | पता क्यों नहीं लगाया गया? | |
| (ग) | ऐसे निरीक्षण / लेखा परीक्षा के दौरान | |
| ` , | धोखाधडी का पता न चलने पर क्या | |
| | कार्रवाई की गई है? | |
| 6 | की गई/की जाने वाली कार्रवाई के बारे | में विवरण |
| (क) | क्या पुलिस/सीबीआई के पास कोई | 28 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C |
| | शिकायत दर्ज कराई गई है? | ((" '(') |
| (ख) | यदि हां, तो सीबीआई/पुलिस के | |
| | कार्यालय/शाखा का नाम | |
| (ग) | संदर्भ की तिथि | |
| (ঘ) | मामले की वर्तमान स्थिति | |
| (च) | पुलिस/सीबीआई द्वारा जांच पूरी होने | |
| | की तिथि | |
| (छ) | पुलिस/सीबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट | |
| | प्रस्तुत करने की तिथि | |
| (ज) | यदि पुलिस/सीबीआई को रिपोर्ट नहीं | |
| | की गई है, तो इसके क्या कारण हैं? | |
| 7 | कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई काविवरण | |
| (क) | क्या कोई आंतरिक जांच की गई | (हाँ/नहीं) |
| | है/किए जाने का प्रस्ताव है? | |
| (ख) | यदि हां, तो पूरा होने की तिथि | |
| (ग) | क्या कोई विभागीय जांच की गई | (हाँ/नहीं) |
| | है/किए जाने का प्रस्ताव है? | |
| (घ) | यदि हां, तो नीचे दिए गए प्रारूप के | |
| | अनुसार विवरण दें : | |
| (च) | यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? | |
| 8 | ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम | |
| | उठाए गए/उठाया जाना का प्रस्तावित | |
| | है | |
| | | |

| (क) | वसूल/बरामद की गई कुल राशि | |
|-----|---------------------------------|--|
| (ख) | वसूल/बरामद की गई राशि / संबंधित | |
| | पक्ष | |
| (ग) | अन्य स्रोतों से | |
| (ঘ) | नुकसान की सीमा | |
| (च) | बट्टे खाते में डाली गई राशि | |

कर्मचारी के प्रति कार्रवाई के लिए प्रारूप

| क्र. | नाम | पदनाम | क्या | आरोपपत्र | घरेलू | जांच | अंतिम | दिया | अभियोजन/दोषसिद्धि |
|------|-----|-------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------------------|
| | | | निलंबित | देने की | जांच | पूरी | आदेश | गया | का विवरण / बरी |
| | | | किया | तिथि | शुरू | होने | जारी | दंड | करना, आदि। |
| | | | गया है / | | करने | की | करने | | |
| | | | निलंबन | | की | तिथि | की | | |
| | | | की तिथि | | तिथि | | तिथि | | |
| | | | | | | | | | |

अनुलग्नक-II- धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट -2 (एफएमआर 2)

(शेष धोखाधड़ी मामलों का विवरण)

संस्था का नाम :

समाप्त हो रहे वर्ष के लिए रिपोर्ट :

भाग ।

शेष धोखाधड़ी

| क्र ा. | धोखाधड़ी का विवरण | वर्ष की शुरुआत में अनसुलझे मामले | | सामने आए नए मामले | | वर्ष के दौरान बंद किए गए मामले संख्या शामिल | | वर्ष के अंत में अनस्त्रझे मामले | |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | संख्या | संख्या शामिल राशि | | संख्या शामिल राशि | | शामिल राशि | संख्या | शामिल राशि |
| | कुल | | | | | | | | |

भाग II सांख्यिकीय विवरण : (वर्ष के अंत तक अनसुलझे मामले)

| क्रमांक | धोखाधड़ी का विवरण | मामलों की संख्या | इसमें शामिल राशि | | |
|---------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | | |
| | कुल | | | | |

भाग III वर्ष के दौरान उठाए गए निवारक और सुधारात्मक कदम

| - 1 | | | |
|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | • | | |
| | कमाक | शीरवाधादी का तितरण | लितास्क/मधागत्मक कार्गतादे । |
| | 7,01197 | नाजानज्ञा नग विवरन | । जिलारमाराजाराजाराजामा मगरपाइ |
| | | | |

भाग IV विधि प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट किए गए मामले

| r | विविध् अवराग रजारावा वर्ग रासार विर गर गांगल | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------|--|--|
| क्र. | विवरण | वर्ष के आरंभ में | | वर्ष के | वर्ष के दौरान | | वर्ष के दौरान | | अंत में | | |
| | | अनसुलङ् | ने मामले | रिपोर्ट वि | केये गए | बंद किये गए | | अनसुलइ | मे मामले | | |
| | | | | मा | मले | मामले | | | | | |
| | | संख्या | रुपए | संख्या | रुपए | संख्या | रुपए | संख्या | रुपए | | |
| | | | (लाख | | (लाख | | (लाख | | (लाख | | |
| | | | में) | | में) | | में) | | में) | | |
| 1. | पुलिस को | | | | | | | | | | |
| | रिपोर्ट किए गए | | | | | | | | | | |
| | मामले | | | | | | | | | | |
| 2. | सीबीआई को | | | | | | | | | | |
| | रिपोर्ट किए गए | | | | | | | | | | |
| | मामले | | | | | | | | | | |
| 3. | अन्य एजेंसियों | | | | | | | | | | |
| | को रिपोर्ट किए | | | | | | | | | | |
| | गए मामले | | | | | | | | | | |
| | (निर्दिष्ट) | | | | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | | | | |

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया या गुप्त नहीं रखा गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षरित/-

अनुलग्नक-III- धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट-3 (एफएमआर 3) (धोखाधड़ी के बंद किये गए मामलों का विवरण)

वर्ष के दौरान बंद किये गए धोखाधड़ी के मामले:

संस्था का नाम:

रिपोर्ट का वर्ष:

| क्र.सं. | मामले को बंद किए जाने का आधार | बंद | किए |
|---------|---|------|---------|
| | | गए | मामलों |
| | | की स | गंख्या# |
| 1. | सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में लंबित धोखाधड़ी के मामलों का अंतत: | | |
| | निपटारा कर दिया गया। | | |
| 2. | कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच पूरी हो चुकी है। | | |

| 3. | धोखाधड़ी में शामिल राशि वसूल/बरामद कर ली गई है। | |
|----|--|--|
| 4. | प्रभावित अभिदाता को राशि का वापस भुगतान कर दिया गया है। | |
| 5. | संस्था ने सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है; प्रेरक कारकों की | |
| | पहचान करके कमियों को दूर कर लिया है; और उस भाग को संस्था के | |
| | उपयुक्त प्राधिकारी (बोर्ड, उसकी समिति) द्वारा नोट कर लिया गया है। | |
| 6. | यह संस्था लंबित धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान के लिए | |
| | सीबीआई से सख्ती से आग्रह कर रही है, और कर्मचारियों के विरुद्ध | |
| | कार्रवाई पूरी हो गई है। कंपनी धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान | |
| | के लिए पुलिस अधिकारियों और / या न्यायालय के साथ सख्ती से | |
| | अनुगमन कर रही है। | |
| 7. | धोखाधड़ी के मामले जहां: | |
| | सीबीआई/पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की | |
| | तिथि से तीन साल से अधिक समय तक जांच चल रही हो या न्यायालय | |
| | में चालान / आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो अथवा | |
| | सीबीआई/ पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दायर करने के बाद न्यायालय | |
| | में कार्यवाही शुरु नहीं की गई हो या जारी हो। | |
| | | |

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं तथा कुछ भी छिपाया या गुप्त नहीं रखा गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षरित/-

नोट : # धोखाधड़ी के मामलों को बंद करना :

सूचना उद्देश्यों के लिए, संस्था को केवल ऐसे मामलों को बंद मामलों के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए जहां निम्नलिखित कार्य पूर्ण हो गए हों :

- 1. सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में लंबित धोखाधड़ी के मामलों का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया हो।
- 2. कर्मचारी की जवाबदेही की जांच पूरी हो चुकी हो।
- 3. धोखाधड़ी की रकम वसूल/बरामद कर ली गई हो।
- 4. संस्था ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा पूरी कर ली हो, प्रेरक कारकों की पहचान करके कमियों को दूर कर लिया हो और इस तथ्य को उपयुक्त प्राधिकारी (बोर्ड / बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति) द्वारा संज्ञान में ले लिया गया हो।

संस्थाओं को लंबित धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान के लिए सीबीआई के साथ गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए, विशेष रूप से जहां संस्थाओं ने कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई पूरी कर ली हो। इसी तरह, संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान के लिए पुलिस अधिकारियों और / या न्यायालय के साथ गंभीरता से अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुगमन करना चाहिए।